हिन्दुस्तान 02
पटना • शनिवार • 05 मई 2018

भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण में बिल्डरों को पंजीकरण का मौका

रेरा में पंजीकरण के लिए 30 जिलों से आवेदन नहीं

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकरण के लिए राज्य के 30 जिलों से एक भी आवेदन नहीं आया है। जबकि इन जिलों में भी अपार्टमेंट बन रहे हैं। वहीं, रेरा ने पंजीकरण के लिए बिल्डरों को एक और मौका दिया है।

31 मई तक कम से कम एक लाख या कुल लागत का 10 फीसदी या रजिस्ट्रेशन फीस का 100 फीसदी जुर्माने के साथ बिल्डर अपनी चल रही या प्रस्तावित परियोजनाओं को लेकर पंजीकरण करा सकते हैं। रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि इस तिथि के बाद बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

शुक्रवार को रेरा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 30 अप्रैल तक मात्र 345 लोगों ने आवेदन दिए। सात कार्यदिवस यानी 11 मई तक आवेदन करने वालों को दस्तावेज जमा करना है, जिसमें से 181 ने जमा किए हैं। 40 से पूछताछ जारी है, जबकि 15 का निबंधन हुआ है। आवेदन देने वालों में भी कई गड़बड़ियां हैं। अध्यक्ष ने कहा कि बिना निबंधन के अगर लोग फ्लैट या जमीन की खरीदारी करेंगे तो बिल्डरों से धोखा होने पर उन्हें कोई कानूनी राहत नहीं मिलेगी।

रेरा से पंजीकृत तभी कानूनी सहायता : फ्लैट लेने वाले सबसे पहले पूछें कि उन्होंने रेरा से निबंधन कराया है या नहीं। लगभग 10 महीने की प्रक्रिया के बाद भी मात्र 345 निबंधन आवेदन आने के सवाल पर अफजल अमानुल्लाह ने कहा कि 30 जिले से कोई आवेदन नहीं आया है जबकि वहां अपार्टमेंट बन रहे हैं। नगर विकास विभाग को कहा गया है कि वह जिलावार स्वीकृत नक्शा की संख्या बताएं, ताकि निबंधन नहीं कराने वालों पर कार्रवाई की जा सके।

सख्ती

- 31 मई तक जुर्माना के साथ रेरा में पंजीकरण करा सकेंगे राज्य के बिल्डर
- 31 मई के बाद बिना पंजीकरण वाले बिल्डरों पर दर्ज होगी एफआईआर

03 साल तक की सजा का है प्रावधान

30 अप्रैल तक 345 ने किए हैं आवेदन

500 वर्गमीटर से अधिक के लिए पंजीकरण जरूरी

अधिनियम के अनुसार बन रहे या बनाए जाने वाले 500 वर्गमीटर से अधिक जमीन पर अगर आठ से ज्यादा फ्लैट बनाए जा रहे हैं तो उनको पंजीकरण कराना होगा। 500 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट होने पर भी उसका पंजीकरण कराना जरूरी है। अधिनियम से बचने के लिए कुछ बिल्डर आधे-अधूरे फ्लैट का निबंधन करा रहे हैं। निबंधन विभाग को कहा गया है कि वह इस पर नजर रखे। कुछेक बिल्डरों को नोटिस भी दिया गया है। दूसरे राज्यों की कंपनी होने पर संबंधित राज्यों को कहा गया है कि वह रेरा से निबंधन की जानकारी हासिल करे। मौके पर रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और एसके सहाय भी मौजूद रहे।